Machine Translated by Google

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

01.08.2024 को निर्णय सुरक्षित रखा गया
02.09.2024 को फैसला सुनाया गया

2016 का एमएसी नं. 710

• मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय - जीरोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, शाखा-डीओ2 रायपुर चावला कॉम्प्लेक्स, तहसील और जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़।

(बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. हिम्मत जोशी, पुत्र स्व. रेवा राम जोशी, उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय- कृषक,
2. श्रीमती परसौती बाई, पत्नी हिम्मत जोशी, उम्र लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,
3. गोविंदा जोशी, पुत्र हिम्मत जोशी, उम्र लगभग 17 वर्ष, प्रतिवादी के माध्यम से नं.2,
4. श्रीमती अमेरिका बाई, पत्नी स्व. रेवाराम जोशी, उम्र लगभग 65 वर्ष,

   प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ग्राम- पाटिया, तहसील- धमधा, थाना के निवासी हैं नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दावेदार)
5. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)
6. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल पुत्र ताराचंद अग्रवाल आज़ाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक सं. CG04-ZC-4052)
7. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,
8. तुंगन, पुत्र स्वर्गीय बोया राम,

   प्रतिवादी संख्या 7 और 8 प्र.सं. के निवासी हैं। 1/ए, गली नंबर 33 नंदिनी नगर, थाना नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन सीजी 04 बी 3004)

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 711

• संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संभाग कार्यालय-जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

1.रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, पुत्र शंकर लाल जोशी, उम्र लगभग 44 वर्ष
वर्ष, व्यवसाय- कृषक,

2. श्रीमती. इंद्राणी जोशी, पत्नी रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 40 वर्ष
वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,

3. मुकेश जोशी, पुत्र रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 16 वर्ष,

4. कु. पूनम जोशी, पुत्री रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 14 वर्ष
साल,

5. शंकर लाल जोशी, पुत्र स्व. घनाराम जोशी, उम्र लगभग 60 वर्ष,

6. श्रीमती. बहुरा बाई, पत्नी शंकर लाल जोशी, उम्र लगभग 58 वर्ष,

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 नाबालिग हैं, वे अपने पिता रामेश्वर के माध्यम से हैं।
दानेश्वर जोशी, पुत्र शंकर लाल जोशी, प्रतिवादी संख्या 1 से 6, ग्राम-पोटिया, तहसील धमधा, थाना नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। (दावेदार)

7. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव
सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)

8. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल पुत्र ताराचंद अग्रवाल
आज़ाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक
सं. CG04-ZC-4052)

9. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

10. तुंगन, पुत्र स्वर्गीय बोया राम,

प्रतिवादी संख्या 9 और 10, क्वार्टर संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर के निवासी हैं।
थाना नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक
मारुति वैन CG04-B-3004)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 715

1. प्रबंधक, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन कार्यालय-2 रायपुर,
चावला कॉम्प्लेक्स, देवेंद्र नगर रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा-16 आरएसएस मार्केट
पावर हाउस सुपेला, भिलाई तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती धनेश्वरी टंडन, पत्नी स्वर्गीय गोपाल टंडन, उम्र लगभग 21 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी,

2. लक्ष्मण टंडन, पुत्र स्वर्गीय गोपाल टंडन, उम्र लगभग 4 वर्ष,

3. कु. तिनिषा टंडन, पुत्री स्व. गोपाल टंडन, उम्र लगभग 2 वर्ष,

4.राधेश्याम टण्डन उर्फ लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम टण्डन, उम्र लगभग 50 वर्ष।

5. श्रीमती. सुशीला टंडन, पत्नी राधेश्याम टंडन, उम्र लगभग 45 वर्ष,

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 नाबालिग हैं, वे अपनी मां श्रीमती के माध्यम से हैं।
धनेश्वरी तोंडन

Machine Translated by Google

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 निवासी रोड नंबर 30 क्वार्टर नंबर 2-ए नंदिनी नगर, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं। (दावेदार)

6. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़। (ड्राइवर)

7. मेसर्स मुनका राइस मिल, मालिक रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल आजाद चौक नेवरा, थाना नेवरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक क्रमांक CG04-ZC-4052)

8. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

9. तुंगन, स्वर्गीय बोया राम के पुत्र,

प्रतिवादी संख्या 8 और 9, प्रश्न संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर, पीएस के निवासी हैं। नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 716

• संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संभाग कार्यालय-जीरोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, तहसील एवं

जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती भोज बाई जोशी, पत्नी स्व. राजू जोशी, उम्र लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,

2. जितेन्द्र कुमार जोशी, पुत्र स्व. राजू जोशी, उम्र लगभग 4 वर्ष,

3. पारू कुमार जोशी, पुत्र राजू जोशी, उम्र लगभग 2 वर्ष,

4.घनश्याम जोशी पुत्र स्वर्गीय घनाराम जोशी उम्र लगभग 50 वर्ष।

5. श्रीमती प्रमिला जोशी, पत्नी घनश्याम जोशी, उम्र लगभग 48 वर्ष,

(प्रतिवादी संख्या 2 और 3 नाबालिग हैं, वे अपनी मां श्रीमती भोज बाई के माध्यम से हैं)

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 निवासी ग्राम-पोटिया, तहसील-धमधा, थाना हैं नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दावेदार)

6. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)

7. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल आज़ाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक सं. CG04-ZC-4052)

8. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

9. तुंगन, स्वर्गीय बोया राम के पुत्र,

प्रतिवादी संख्या 8 और 9, प्रश्न संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर, पीएस के निवासी हैं। नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

Machine Translated by Google

2016 का एमएसी नं. 717

• मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय-जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, तहसील और जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राम प्रसाद उर्फ राम सताव जोशी, पुत्र लखन लाल जोशी, उम्र लगभग 24 वर्ष वर्ष, व्यवसाय- कृषि,

2. श्रीमती उत्तरा बाई, पत्नी राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 41 वर्ष,

3. रवि जोशी, पुत्र राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 15 वर्ष, व्यवसाय छात्र,

4. दीपक, पुत्र राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 13 वर्ष,

5. श्रीमती. देवकी बाई, पत्नी लाखन लाल जोशी, उम्र लगभग 60 वर्ष,

(प्रतिवादी संख्या 3 और 4 नाबालिग हैं, वे अपने पिता राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी के माध्यम से हैं)

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 निवासी ग्राम-पोटिया, तहसील-धमधा, थाना हैं नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दावेदार)

6. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)

7. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पिता ताराचंद अग्रवाल आजाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक क्रमांक CG04-ZC-4052)

8. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

9. तुंगन, स्वर्गीय बोया राम के पुत्र,

प्रतिवादी संख्या 8 और 9, प्रश्न संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर, पीएस के निवासी हैं। नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 718

• मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय-जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, तहसील और जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती पूर्णिमा बाई, पत्नी स्व. सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,

2. दुर्गेश जोशी, पुत्र स्व. सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 4 वर्ष,

3. कु.रीमा, पुत्री स्व.सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 2 वर्ष,

4. दुरपति जोशी, पत्नी स्वर्गीय धनेश्वर जोशी, उम्र लगभग 43 वर्ष,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Machine Translated by Google

(प्रतिवादी संख्या 2 और 3 नाबालिग हैं, वे अपनी मां श्रीमती के माध्यम से हैं। पूर्णिमा जोशी)

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ग्राम-पोटिया, तहसील-धमधा, थाना के निवासी हैं नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दावेदार)

5. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)

6. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल पुत्र ताराचंद अग्रवाल आज़ाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक सं. CG04-ZC-4052)

7. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

8. तुंगन, पुत्र स्वर्गीय बोया राम,

प्रतिवादी संख्या 7 और 8, प्रश्न संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर, पीएस के निवासी हैं। नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 814

• डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिवीजन ऑफिस जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

----अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती. दुरपति जोशी, पत्नी स्वर्गीय धनेश्वर जोशी, उम्र लगभग 43 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी,

2.ओमप्रकाश जोशी पुत्र स्व.धनेश्वर जोशी उम्र लगभग 21 वर्ष।

3. कु. गायत्री जोशी, पुत्री स्व. धनेश्वर जोशी, उम्र लगभग 18 वर्ष,

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ग्राम पोटिया, तहसील धमधा, थाना के निवासी हैं नंदिनी नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। (दावेदार)

4. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गाँव सिनौधा, थाना तिल्दा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. (ड्राइवर)

5. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल आज़ाद चौक नेवरा, थाना नेवरा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (मालिक ट्रक सं. CG04-ZC-4052)

6. श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम,

7. तुंगन, स्वर्गीय बोया राम के पुत्र,

प्रतिवादी संख्या 6 और 7, निवासी हैं, क्यू. संख्या 1/ए, स्ट्रीट संख्या 33, नंदिनी नगर, पीएस नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति वैन CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

एमएसी संख्या 1242/2016

Machine Translated by Google

1. राम प्रसाद उर्फ राम सताव जोशी, पुत्र लखन लाल जोशी, उम्र लगभग 48 वर्ष
   वर्ष, व्यवसाय- कृषि,
2. श्रीमती उत्तरा बाई, पत्नी राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 41 वर्ष,
3. रवि जोशी, पुत्र राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 15 वर्ष,
   व्यवसाय- छात्र,
4. दीपक, पुत्र राम प्रसाद उर्फ राम सतव जोशी, उम्र लगभग 13 वर्ष,
5. श्रीमती. देवकी बाई, पत्नी लाखन लाल जोशी, उम्र लगभग 60 वर्ष,

अपीलकर्ता संख्या 3 और 4 नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें उनके प्राकृतिक अभिभावक अपीलकर्ता संख्या 1 राम प्रसाद उर्फ राम सतवा जोशी के माध्यम से अभियुक्त बनाया गया है।

सभी निवासी- ग्राम- पोटिया, तहसील- धमधा, थाना- नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं।

----अपीलकर्ता / दावेदार

बनाम

1. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिनौधा, थाना-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
   (ट्रक नं. का ड्राइवर)
   सीजी04-जेडसी-4052)
2. मैसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद
   अग्रवाल, आज़ाद चौक नेवरा, थाना-नेवरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
   (ट्रक नं. CG04-ZC-4052 के मालिक)
3. मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडल कार्यालय
   जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता ट्रक क्रमांक CG04 ZC-4052)
   (मारुति क्रमांक CG04-
   बी-3004)
4. 4.1 श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम, 4.2 - तुंगन, पुत्री
   स्वर्गीय बोया राम,

   दोनों निवासी हैं- क्यू- नंबर 1/आर स्ट्रीट नंबर 33 नंदिनी नगर, पीएस नंदिनी नगर,
   तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति क्रमांक CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2016 का एमएसी नं. 1243

1.रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, पुत्र शंकर लाल जोशी, उम्र लगभग 44 वर्ष
   वर्ष, व्यवसाय- कृषक,
2. श्रीमती. इंद्राणी जोशी, पत्नी रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 40 वर्ष
   वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,
3. मुकेश जोशी, पुत्र रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 16 वर्ष,
4. कु. पूनम जोशी, पुत्री रामेश्वर उर्फ दानेश्वर जोशी, उम्र लगभग 14 वर्ष
   साल,
5. शंकर लाल जोशी, पुत्र स्व. घनाराम जोशी, उम्र लगभग 60 वर्ष,
6. श्रीमती. बहुरा बाई, पत्नी शंकर लाल जोशी, उम्र लगभग 58 वर्ष,

Machine Translated by Google

अपीलकर्ता संख्या 3 और 4 नाबालिग हैं, वे अपने पिता रामेश्वर के माध्यम से हैं @
दानेश्वर जोशी, पुत्र शंकर लाल जोशी,

सभी निवासी- ग्राम- पोटिया, तहसील- धमधा, थाना- नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं।

----अपीलकर्ता / दावेदार

बनाम

1. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिनौधा, थाना-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (ट्रक नं. का ड्राइवर)
सीजी04-जेडसी-4052)

2. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल, आज़ाद चौक नेवरा, थाना-नेवरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (के मालिक ट्रक नं. CG04-ZC-4052)

3. डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन ऑफिस जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़. (बीमाकर्ता ट्रक नं. CG04 ZC-4052) (मारुति नं. CG04-B-3004)

4. 4.1 श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम, 4.2 - तुंगन, पुत्री स्वर्गीय बोया राम,

दोनों निवासी- क्यू- नंबर 1/आर स्ट्रीट नंबर 33 नंदिनी नगर, पीएस नंदिनी नगर, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं। (मालिक मारुति क्रमांक CG04-B-3004)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 1244

1. श्रीमती पूर्णिमा बाई, पत्नी स्व. सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,

2. दुर्गेश जोशी, पुत्र स्व. सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 4 वर्ष,

3. कु.रीमा, पुत्री स्व.सनत कुमार जोशी, उम्र लगभग 2 वर्ष,

4. दुरपति जोशी, पत्नी स्वर्गीय धनेश्वर जोशी, उम्र लगभग 43 वर्ष,

अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 नाबालिग हैं, वे अपनी मां श्रीमती के माध्यम से हैं।
पूर्णिमा जोशी,

अपीलकर्ता क्रमांक 1 से 4 निवासी- ग्राम- पोटिया, तहसील- धमधा, थाना- नंदिनी नगर, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं।

----अपीलकर्ता / दावेदार

बनाम

1. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिनौधा, थाना-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (ट्रक नं. का ड्राइवर)
सीजी04-जेडसी-4052)

2. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल, आज़ाद चौक नेवरा, थाना-नेवरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (के मालिक ट्रक नं. CG04-ZC-4052)

Machine Translated by Google

3. डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन ऑफिस जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़. (बीमाकर्ता ट्रक नं. CG04 ZC-4052) (मारुति नं. CG04-B-3004)

4. 4.1 श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम, 4.2 - तुंगन, पुत्री स्वर्गीय बोया राम,

दोनों निवासी हैं- क्यू- नंबर 1/आर स्ट्रीट नंबर 33 नंदिनी नगर, पीएस नंदिनी नगर, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति क्रमांक CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

2016 का एमएसी नं. 1245

1. श्रीमती भोज बाई जोशी, पत्नी स्व. राजू जोशी, उम्र लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी,

2. जितेन्द्र कुमार जोशी, पुत्र स्व. राजू जोशी, उम्र लगभग 4 वर्ष,

3. पारू कुमार जोशी, पुत्र राजू जोशी, उम्र लगभग 2 वर्ष,

4.घनश्याम जोशी पुत्र स्वर्गीय घनाराम जोशी उम्र लगभग 50 वर्ष।

5. श्रीमती प्रमिला जोशी, पत्नी घनश्याम जोशी, उम्र लगभग 48 वर्ष,

अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 नाबालिग हैं, वे अपनी मां श्रीमती भोज बाई के माध्यम से हैं

अपीलकर्ता संख्या 1 से 5 निवासी- ग्राम- पोटिया, तहसील- धमधा, थाना- नंदिनी नगर, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----अपीलकर्ता / दावेदार

बनाम

1. जीवन लाल साहू, पुत्र रतन लाल साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिनौधा, थाना-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (ट्रक नं. का ड्राइवर)
सीजी04-जेडसी-4052)

2. मेसर्स मुनका राइस मिल, प्रोपराइटर रामगोपाल अग्रवाल, पुत्र ताराचंद अग्रवाल, आज़ाद चौक नेवरा, थाना-नेवरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (के मालिक ट्रक नं. CG04-ZC-4052)

3. डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन ऑफिस जीई रोड, राजेंद्र प्रसाद चौक, परमानंद भवन दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़. (बीमाकर्ता ट्रक नं. CG04-ZC-4052) (मारुति नं. CG04-B-3004)

4. 4.1- श्रीमती. सुशीला बाई, पुत्री बोया राम, 4.2 - तुंगन, पुत्री स्वर्गीय बोया राम,

दोनों निवासी हैं- क्यू- नंबर 1/आर स्ट्रीट नंबर 33 नंदिनी नगर, पीएस नंदिनी नगर, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। (मालिक मारुति क्रमांक CG04-B-3004)

---- उत्तरदाता

बीमाकर्ता के लिए	: श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता।
के मालिक और ड्राइवर के लिए	: श्री संगीत कुमार कुशवाह,
आपत्तिजनक वाहन दावेदारों के लिए	: श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता।

Machine Translated by Google

1. चूंकि बीमा कंपनी और दावेदारों द्वारा क्रमशः दायर सभी अपीलें उत्पन्न होती हैं 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17.03.2016 के विवादित पुरस्कारों में से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में अलग दावा मामले में सं.102/2011 (एमएसी सं.710/2016), दावा मामला सं.101/2011 (एमएसी सं.711/2016 और एमएसी सं.1243/2016), दावा मामला सं.95/2011 (एमएसी सं.715/2016), दावा मामला सं.103/2011 (एमएसी सं.716/2016 और एमएसी सं.1245/2016), दावा मामला सं.100/2011 (एमएसी सं.717/2016 और एमएसी सं.1242/2016), दावा मामला सं.88/2011 (एमएसी सं.718/2016 और एमएसी सं.1244/2016) और दावा मामला सं.98/2011 (एमएसी सं.814/2016), जिसमें शामिल हैं एक ही दुर्घटना है, इसलिए, उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है यह सामान्य निर्णय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दावा याचिकाओं में दिए गए कथनों के अनुसार, दिनांक 13.12.2010 को लगभग 8:30 बजे अपराह्न, मृतक व्यक्ति गांव में सगाई समारोह में भाग लेने के बाद लावर निवासी मारुति वैन में बैठकर अपने गांव पोटिया लौट रहे थे। रजिस्ट्रेशन नं.सीजी04-बी-3004, जिसे मृतक गोपाल चला रहा था टंडन। हालांकि, रास्ते में जब वे हथबंद कामता रोड पर पहुंचे तो क्रशर मशीन के पास, गैर आवेदक क्रमांक 1 / ट्रक का चालक पंजीकरण संख्या CG04-ZC-4052 (जिसे आगे 'अपराधी वाहन' कहा जाएगा), द्वारा तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उक्त मारुति वैन को टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप, उक्त मारुति में बैठे मृत व्यक्ति वैन को शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में, अपराधी वाहन का स्वामित्व गैर-आवेदक संख्या 2 के पास था और उसका बीमा किया गया था गैर-आवेदक संख्या 3 के साथ।

3. मृतक दोवेन्द्र कुमार जोशी की मृत्यु के कारण दावा याचिका अर्थात दावेदारों द्वारा दावा मामला संख्या 102/2011 (एमएसी संख्या 710/2016) दायर किया गया था मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रु.24,70,000/-. विद्वान 6वां अतिरिक्त मोटर

Machine Translated by Google

दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, द्वारा साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात

पक्षों के नेतृत्व में, आरोपित पुरस्कार द्वारा कुल मुआवजा प्रदान किया गया

आवेदन की तिथि से लेकर उसके निष्पादन तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित रु.10,54,000/-

बीमा कंपनी पर देयता तय करते समय वसूली / गैर-

आवेदक संख्या 3.

मृतक सावंत जोशी की मृत्यु के कारण दावा याचिका अर्थात

दावा मामला संख्या 101/2011 (एमएसी संख्या 711/2016 और एमएसी संख्या 1243/2016) दायर किया गया

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावेदारों द्वारा दावा

विभिन्न मदों के तहत 26,70,000 रुपये का मुआवजा ।

अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद

पक्षकारों द्वारा, आरोपित पुरस्कार द्वारा कुल मुआवजा प्रदान किया गया

आवेदन की तिथि से लेकर उसके निष्पादन तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित रु. 11,54,000/-

बीमा कंपनी पर देयता तय करते समय वसूली / गैर-

आवेदक संख्या 3.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक गोपाल टंडन की मृत्यु के कारण दावा याचिका अर्थात

दावा मामला संख्या 95/2011 (एमएसी संख्या 715/2016) दावेदारों द्वारा दायर किया गया था

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रु.40,00,000/-. विद्वान 6वां अतिरिक्त मोटर

दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, द्वारा साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात

पक्षों के नेतृत्व में, आरोपित पुरस्कार द्वारा कुल मुआवजा प्रदान किया गया

आवेदन की तिथि से उसके निष्पादन तक 9% प्रति वर्ष ब्याज सहित रु.12,64,000/-

बीमा कंपनी/गैर-बीमाकर्ता पर दायित्व तय करते हुए वसूली

आवेदक संख्या 3.

मृतक राजू जोशी की मृत्यु के कारण दावा याचिका अर्थात दावा

मामला संख्या 103/2011 (एमएसी संख्या 716/2016 और एमएसी संख्या 1245/2016) किसके द्वारा दायर किया गया था?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा करने वाले दावेदार

विभिन्न मदों के तहत 63,20,000 रुपये का मुआवजा ।

अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, के पश्चात

पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, आरोपित पुरस्कार द्वारा

Machine Translated by Google

कुल मुआवज़ा 12,64,000 रुपये, 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

बीमा पर देयता को स्थिर करते हुए, इसकी प्राप्ति तक आवेदन

कंपनी/गैर-आवेदक संख्या 3.

मृतक गोलू जोशी की मृत्यु के कारण दावा याचिका अर्थात दावा

केस संख्या 100/2011 (एमएसी संख्या 717/2016 और एमएसी संख्या 1242/2016) किसके द्वारा दायर किया गया था?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा करने वाले दावेदार

विभिन्न मदों के तहत 26,70,000 रुपये का मुआवजा।

अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, के पश्चात

पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, आरोपित पुरस्कार द्वारा

कुल मुआवज़ा 11,54,000 रुपये, 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

बीमा पर देयता को स्थिर करते हुए, इसकी प्राप्ति तक आवेदन

कंपनी/गैर-आवेदक संख्या 3.

मृतक सनत कुमार जोशी की मृत्यु के कारण दावा याचिका

अर्थात दावा मामला संख्या 88/2011 (एमएसी संख्या 718/2016 और एमएसी संख्या 1244/2016)

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावेदारों द्वारा दावा दायर किया गया

विभिन्न मदों के तहत 70,44,000/- रुपये का मुआवजा।

अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, के पश्चात

पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, आरोपित पुरस्कार द्वारा

कुल मुआवजा 15,28,500 रुपये, 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

बीमा पर देयता को स्थिर करते हुए, इसकी प्राप्ति तक आवेदन

कंपनी/गैर-आवेदक संख्या 3.

मृतक धनेश्वर जोशी की मृत्यु के संबंध में दावा याचिका

अर्थात दावा मामला संख्या 98/2011 (एमएसी संख्या 814/2016) दावेदारों द्वारा दायर किया गया था

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रु.19,35,000/-. विद्वान 6वां अतिरिक्त मोटर

दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात,

आरोपित पुरस्कार में कुल 7,31,000 रुपये का मुआवजा दिया गया

आवेदन की तिथि से लेकर उसके भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज

बीमा कंपनी/गैर-आवेदक संख्या 3 पर देयता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

4. सभी अपीलों में बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

दुर्घटना के समय, दोषी वाहन का चालक/गैर-आवेदक क्रमांक 1

अपराधी के पास वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था

उसके पास जो वाहन और लाइसेंस था वह फर्जी था, जैसा कि बयान से स्पष्ट है।

एनएडब्लू(3 व 5) का बयान-1 निहाल सिंह, कनिष्ठ सहायक, आरटीओ धौलपुर,

राजस्थान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं है।

आरटीओ धौलपुर से उल्लंघनकर्ता वाहन के चालक के नाम पर जारी किया गया-

जीवन लाल साहू, इसलिए, आरटीओ, रायपुर द्वारा किया गया बाद का नवीनीकरण नहीं हो सकता

इसकी वास्तविकता पर प्रभाव नहीं डाला जाएगा और इसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जा सकता

उन्होंने आगे कहा कि दोषी वाहन के मालिक के पास लाइसेंस है।

अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से यह दलील नहीं दी गई कि ड्राइविंग की पुष्टि करने के बाद

उन्होंने गैर-आवेदक क्रमांक 1/जीवन लाल साहू का लाइसेंस निरस्त करने तथा उसके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करने के बाद,

उसे आपत्तिजनक वाहन/गैर-आवेदक संख्या 1 का चालक नियुक्त किया था,

इसलिए, उसका साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है और अपराधी का स्वामी

वाहन को नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए था।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही, वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि वाहन के मालिक

अपने कर्तव्य का निर्वहन किए बिना, गैर-आवेदक को अपराधी वाहन में लगा दिया

नंबर 1 और आपत्तिजनक वाहन उसे सौंप दिया, इसलिए, यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है

उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक की ओर से उल्लंघन। MAC में

संख्या 715/2016 में, उन्होंने आगे तर्क दिया कि चालक

मारुति वैन/मृतक- गोपाल टंडन स्वयं थे पूरी तरह जिम्मेदार

दुर्घटना का कारण बनने और अपनी लापरवाही के लिए, बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा

किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए, के तहत दावा आवेदन दायर किया गया है

मृतक के दावेदारों (एमएसी संख्या 715/2016) द्वारा एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत-

गोपाल टंडन का मामला विचारणीय नहीं है। वह आगे यह भी कहना चाहेंगे कि सभी मामलों में

अपील में, न्यायाधिकरण ने भविष्य के लिए प्रतिशत को गलत तरीके से लागू किया है

संभावनाओं, जबकि इसे व्यक्ति की आयु के आधार पर लागू किया जाना चाहिए

मृतक व्यक्तियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

(2017) 16 एससीसी 680. उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा दी गई राशि सभी अपीलों में अन्य मदों के प्रति न्यायाधिकरण की दरें भी उच्चतर हैं। जिसे उचित रूप से कम करने की आवश्यकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, शिमला कमला और अन्य बनाम रिपोर्ट में बताया गया (2001) 4 एससीसी 342, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड वी गीता भट्ट एवं अन्य। रिपोर्ट में बताया गया एआईआर 2008 एससी 1837, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य रिपोर्ट में बताया गया (2004) 3 एससीसी 297 और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरू राम व अन्य रिपोर्ट में बताया गया (2018) 18 एससीसी 130.

5. सभी मामलों में दोषी वाहन के मालिक और चालक के लिए विद्वान वकील

अपील में यह प्रस्तुत किया जाएगा कि अपराधी वाहन के मालिक और चालक ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चालक अपराधी वाहन/गैर-आवेदक नंबर 1 के पास 20 वर्ष का अनुभव है और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के बाद, दोषी वाहन के मालिक को पता चला कि यह वैध था और समय-समय पर तथा केवल परीक्षण के बाद ही इसका नवीनीकरण किया जाता था उसके ड्राइविंग कौशल के आधार पर, दोषी वाहन के मालिक ने गैर-आवेदक नंबर 1 को नियुक्त किया अपराधी वाहन के चालक के रूप में। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि चालक और दोषी वाहन के मालिकों ने न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं जांच की है और विशेष रूप से कहा गया है कि दुर्घटना के समय, अपराधी का चालक वाहन के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसे आरटीओ, रायपुर को समय-समय पर यह भी बताना होगा कि क्या वे सभी अभिलेख आरटीओ, रायपुर को समय-समय पर उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 1986 के आरटीओ को नष्ट कर दिया गया था जैसा कि एनएडब्ल्यू (3 और 5) -1 निहाल द्वारा कहा गया है सिंह, कनिष्ठ सहायक, आरटीओ धौलपुर और यदि ऐसा है तो यह नहीं कहा जा सकता यह कि ड्राइविंग लाइसेंस उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के नाम पर जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने सही ढंग से दायित्व को उस पर तय किया है बीमा कंपनी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस सीमित दायित्व वाली कंपनी बनाम राम नारायण मिश्रा व अन्य में पारित एमए सं.420/2001 पर 07.07.2009.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

6. सभी अपीलों में दावेदारों के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि

न्यायाधिकरण ने मृतक व्यक्तियों की मासिक आय का गलत आकलन किया है

4,500/- रुपये, जबकि प्रकृति को देखते हुए यह 6,000/- रुपये प्रति माह होना चाहिए

मृतक व्यक्तियों के काम का। उन्होंने आगे कहा कि कटौती की गई

न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए

कुछ अपीलों में व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न्यायोचित एवं उचित नहीं है, जबकि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मृत व्यक्तियों पर निर्भरता को स्वीकार करते हुए,

न्यायाधिकरण द्वारा अन्य शीर्षों के अंतर्गत दी गई राशि न्यायसंगत एवं उचित है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया तथा सामग्री का अवलोकन किया गया।

रिकार्ड पर उपलब्ध है।

बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील

8. जहां तक बीमा कंपनी के विद्वान वकील का तर्क है कि

मारुति के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा

वैन/मृतक-गोपाल टंडन द्वारा की गई हत्या, न कि दोषी वाहन/गैर-वाहन के चालक द्वारा

आवेदक संख्या 1 के संबंध में, AW-1 राधेश्याम टंडन ने कहा है कि

13.12.2010 को उनके पुत्र गोपाल टंडन सहित अन्य यात्री घायल हो गये।

सगाई समारोह में भाग लेने के बाद गांव लावर से लौट रहे थे।

मारुति वैन, जिसे मृतक गोपाल टंडन चला रहा था, मध्यम गति की दुर्घटना में घायल हो गई।

रात 8:45 बजे हथबंद रोड के पास क्रशर मशीन के आगे तेज गति से आ रही थी।

आपत्तिजनक वाहन जिसे उसके चालक/गैर-आवेदक क्रमांक 1 द्वारा चलाया जा रहा था

उतावलेपन और लापरवाही से मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप

जिसमें अन्य यात्रियों के साथ गोपाल टंडन भी शामिल थे, जो कार चला रहे थे।

मारुति वैन में सवार एक व्यक्ति को भी शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

AW-1 राधेश्याम टंडन के बयान की भी पुष्टि हुई

AW-2 बालेश्वर जोशी का बयान. इसके विपरीत, NAW-1 जीवन लाल साहू,

दोषी वाहन के चालक और एनएडब्लू-2 के मालिक राम गोपाल अग्रवाल

अपराधी वाहन के मालिक ने कहा है कि दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई और

यह मारुति वैन के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने का मामला है, न कि वाहन द्वारा।

हालाँकि, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित दावेदारों ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

आपराधिक मामले के दस्तावेज यानी अंतिम रिपोर्ट (एक्स.पी-1), एफआईआर (एक्स.पी-2), घटनास्थल का नक्शा (एक्स.पी-3), जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-6 और पी-7) और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के बाद पुलिस दायर चालान और दोषी वाहन के चालक/गैर-आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें आईपीसी की धारा 279, 337 और 304-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए नंबर 1 और गैर-आवेदक नंबर 1 से आपत्तिजनक वाहन भी जब्त कर लिया गया, जिसमें उसका नाम दिखाया गया दुर्घटना के समय दोषी वाहन के चालक के रूप में नाम दर्ज करना। इसके अलावा, अपराधी वाहन के NAW-1 चालक के बयान से पता चलता है कि वह दुर्घटना के लिए अभियोग चलाया गया तथा कोई जवाबी शिकायत दर्ज नहीं की गई उनके द्वारा झूठे आरोप लगाए जाने तथा उनके द्वारा कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं लाए जाने के कारण यह आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मारुति वैन के चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना तथा साक्ष्यों पर विचार करना अभिलेख के अनुसार, मेरा यह मत है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने, मिनट दर मिनट के पश्चात्, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री की सराहना, इसके आपत्तिजनक मामले में निर्णय में सही कहा गया है कि दुर्घटना की तिथि अर्थात 13.12.2010 को, गैर-आवेदक क्रमांक 1/अपराधी वाहन का चालक अपराधी वाहन चला रहा था वाहन को तेजी व लापरवाही से आगे बढ़ाया और मारुति वैन को टक्कर मार दी। मृतक गोपाल टंडन द्वारा चलायी जा रही कार के कारण दुर्घटना हुई। इस प्रकार, यह माना जाता है कि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। मृतक- गोपाल टंडन और मृतक- गोपालताल की मृत्यु के कारण टंडन, दावेदारों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा आवेदन दायर किया गया बनाए रखने योग्य है। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील इस संबंध में बीमा कंपनी का आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या दिनांक को दुर्घटना के समय, दोषी वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था या नकली?

10. बीमा कंपनी ने अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से दलील दी है कि उस समय दुर्घटना के समय, अपराधी वाहन को गैर-आवेदक क्रमांक 1/चालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के चलाया जा रहा था। वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होने तथा उक्त तथ्य को साबित करने के लिए, बीमा

Machine Translated by Google

कंपनी ने एनएडब्लू(3 और 5)-1 निहाल सिंह, जूनियर असिस्टेंट की जांच की है, जिन्होंने कहा है

अपने मुख्य परीक्षण में पाया कि ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण के सत्यापन के बाद

संख्या आरजे/11/19860002425 दिनांक 05.04.1986 से यह पाया गया कि उक्त लाइसेंस वैध नहीं था।

उनके कार्यालय से जारी किया गया और जो पत्र जारी किया गया था उस पर Ex.D-2C अंकित है।

जिरह में उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उक्त ड्राइविंग लाइसेंस से पहले उनका कोई लाइसेंस था।

क्रमांक ओटीएच/जे/152/आर/93 गैर आवेदक क्रमांक 1 जीवन लाल साहू के पक्ष में जारी किया गया।

जिरह में उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि पत्र Ex.D-2C

ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के संबंध में मूल दस्तावेज संलग्न किए बिना जारी किया गया

लाइसेंस और यह भी स्वीकार किया कि ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर में, सीरियल नंबर 2099 के बाद,

सीरियल नंबर 3000 अनजाने में चिपका दिया गया है। यह भी उन्होंने स्वीकार किया है कि लाइसेंस

सीरियल नंबर 2100 से 2999 के बीच जारी नहीं किया गया है और उन्होंने सेटिंग की मांग की है

उक्त क्रम संख्या को अलग रखते हुए, तदनुसार, दिनांक 23.08.1985 का आदेश पारित किया गया है।

जारी किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि एक्स.डी-4 और डी-5 में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

वर्ष 1986 में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में ब्यौरा और यह कि

ऐसा लाइसेंस, जो गैर-आवेदक संख्या 1 के पास है, जारी किया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया है

यदि कोई लाइसेंस अन्य राज्यों से आता है, तो जारी करने के संबंध में एन.ओ.सी.

पहले लाइसेंस और प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि लाइसेंस

(अन्य राज्य से प्राप्त) का सत्यापन प्राप्त होने के बाद ही सत्यापन और जारी किया जाता है

संबंधित लाइसेंस के बारे में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्ष 1986 की फाइलें

नष्ट कर दिया गया और आगे स्वीकार किया कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

इसके विपरीत, दोषी वाहन के चालक एनएडब्लू-1 जीवन लाल साहू ने अपराध स्वीकार किया है।

जिरह में यह तथ्य सामने आया कि उनका मूल ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान में बना था,

धौलपुर में ही इसका नवीनीकरण किया गया और रायपुर में इसका नवीनीकरण किया गया। एनएडब्ल्यू-2 के मालिक राम गोपाल अग्रवाल

मुख्य परीक्षण में यह कहा गया है कि दुर्घटना के समय,

अपराधी वाहन के चालक/गैर-आवेदक नंबर 1 के पास वैध और प्रभावी

ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करने और उसके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करने के बाद, वह

उसे ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है और गैर-आवेदक नंबर 1/जीवन लाल को गाड़ी चलाने का अनुभव है

भारी वाहन भी था और उसका लाइसेंस समय-समय पर आरटीए, रायपुर से नवीनीकृत किया जा रहा था

जिरह में उसने स्वीकार किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो गैर-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Machine Translated by Google

आवेदक क्रमांक 1/जीवन लाल साहू द्वारा लाया गया आवेदन रायपुर से जारी किया गया था। हालांकि वकील क्योंकि बीमा कंपनी ने कहा है कि दोषी वाहन के मालिक ने ऐसा नहीं किया है अपने लिखित बयान में विशेष रूप से दलील दी कि ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के बाद गैर-आवेदक क्रमांक 1/जीवन लाल साहू और उसके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करने के लिए, उन्होंने नियुक्त किया था उसे अपराधी वाहन का चालक बताया गया है, इसलिए उसका साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यहां यह उल्लेख करना उचित है कि लिखित बयान संयुक्त रूप से दायर किया गया है इसलिए, आपत्तिजनक वाहन के मालिक और चालक, मामले में किए गए कथनों को अमान्य करार दिया गया है। लिखित बयान को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गैर-आवेदक के पक्ष में जारी डाइविंग लाइसेंस का अर्क क्रमांक 1-जीवन लाल साहू को रिकार्ड में लाया गया है, जिसे Ex.D-13C के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें कुछ विवरण दिए गए हैं जो न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं इन अपीलों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लाइसेंस धारक का विवरण
डीएल नंबर-आरजे11/1986/0002425
नाम-जीवन लाल साहू
रतन लाल साहू पुत्र
xxxxxx
ए. ओला द्वारा जारी प्रथम बार जारी विवरण : आरजे11
डीटीओ, धौलपुर श्रेणी वाहन (श्रेणियाँ)
एनटी:
टीआर: ट्रांस
XXXXXXXX

अर्क जारी करने की तिथि 25/04/2012 4:32PM पिछला नं.OTH/J/152/R/93
xxxxxx
डीएल जारी करने की तिथि:- 05/04/1986 श्रेणी। से
वैध एनटी: टीआर: 05/04/1986 तक वैध
29/01/2009

सी. बाद के लेन-देन

लेन-देन अनुमोदन एसआई नं.	तारीख	वैधता से लेकर डीएल की अवधि तक, वैध नहीं, यदि भी समर्थन से	को	की श्रेणी अनुमोदन करें	वाहन का प्राधिकरण किसी
1. 17.02.2009 का नवीकरण डेली		25/03/2006 30/01/2009	24/03/2011 (एनटी) 24/03/2011 (टीआर)		सीजी04
2. 27/04/2011 का नवीकरण डेली		27/04/2011 27/04/2011	26/04/2016 (एनटी) 26/04/2016 (टीआर)	25/03/2011 26/04/2011	सीजी04
3. विविध	27/04/2011	27/04/2011 27/04/2011	26/04/2016 (एनटी) 26/04/2016 (टीआर)		सीजी04

XXXXXXXXXX

11. उपरोक्त दस्तावेज़ (एक्स.डी-13सी) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लाइसेंस क्रमांक आरजे11/1986/0002425 गैर आवेदक क्रमांक 1 के नाम पर जारी किया गया था। 05.04.1986 को डीटीओ, धौलपुर, राजस्थान से जीवन लाल साहू जो थे

Machine Translated by Google

दिनांक 05.04.1986 से 29.01.2009 तक प्रभावी। तत्पश्चात, उक्त लाइसेंस

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाया गया है, समय-समय पर नवीकृत किया जाता है। दस्तावेज़ के अनुसार

(एक्स.डी-13सी), जो गैर-आवेदक संख्या 1 के ड्राइविंग लाइसेंस का एक अर्क है

रिकॉर्ड पर, (एनएडब्लू-3 और 5)-1 निहाल सिंह द्वारा दिया गया बयान मान्य नहीं है।

मुख्य परीक्षा में साक्ष्य मूल्य के रूप में, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है,

जो वर्ष 1986 का बताया गया है, उनके कार्यालय से जारी किया गया था और

इसके विपरीत, उन्होंने जिरह में कहा है कि लाइसेंस का विवरण

वर्ष 1986 के रजिस्टर नष्ट कर दिए गए, और इस प्रकार उनका साक्ष्य अमान्य हो गया।

अस्वीकार्य। इसलिए, Ex.D-13C के आधार पर, यह माना जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस

दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 जीवन लाल साहू द्वारा धारित

वैध और प्रभावी है तथा नकली नहीं पाया गया है।

12. के मामले में राम नारायण मिश्रा एवं अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना है

पैरा 9 और 10 जो इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(9) जहां तक फर्जी लाइसेंस का सवाल है, यह अपने आप में बीमा कंपनी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं होगा, क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और वह विधिवत लाइसेंसधारी चालक या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहन का उपयोग करने के मामले में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा, जो प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं था। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है। केवल ड्राइविंग लाइसेंस का न होना, फर्जी या अमान्य होना या चालक की कोई अयोग्यता बीमाकर्ता के लिए बीमाधारक या तीसरे पक्ष के खिलाफ़ उपलब्ध बचाव नहीं हैं।

यह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य (2004) 3 एससीसी 297 के मामले में निर्धारित किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 110 के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

"उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश

इन याचिकाओं में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय XI तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करता है, जो मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे द्वारा राहत देने के लिए एक सामाजिक कल्याण कानून है। सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ हैं और अधिनियम के प्रावधानों की सर्वोपरि व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। (ii) एक बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए, या धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका में बचाव करने का हकदार है, अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम की धारा 149(2)(ए) (ii) के अनुसार। (iii) पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन जैसे कि अयोग्यता

Machine Translated by Google

धारा 149 की उपधारा 2(ए) (ii) में निहित अनुसार चालक या चालक के अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के उल्लंघन के मामले में बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए यह साबित करना होगा कि यह अपराध बीमाकर्ता द्वारा किया गया है। केवल ड्राइविंग लाइसेंस की अनुपस्थिति, फर्जी या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए चालक की अयोग्यता, बीमाकर्ता के लिए बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमाकर्ता के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमाकर्ता लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंसधारी चालक या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा, जो प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं था।

(iv) तथापि, बीमा कम्पनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचावों को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से "उल्लंघन" को भी स्थापित करना चाहिए; इसके लिए सबूत का भार उन पर होगा। (v) न्यायालय इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता कि उक्त भार का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। (vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता चालक द्वारा वैध लाइसेंस रखने या प्रासंगिक अवधि के दौरान

वाहन चलाने की उसकी योग्यता के संबंध में पॉलिसी शर्त के संबंध में बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम है, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त पर उक्त उल्लंघन या उल्लंघन इतने मौलिक न हों कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया गया

हो। पॉलिसी शर्तों की व्याख्या करने में न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमाकर्ता को उपलब्ध बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य के नियम और" मौलिक उल्लंघन की अवधारणा को लागू करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) प्रत्येक मामले में यह प्रश्न निर्धारित किया जाएगा कि क्या स्वामी ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (नकली या अन्यथा) कानून की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।

(viii) यदि दुर्घटना के समय वाहन को लर्निंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति चला रहा था, तो बीमा कंपनियां डिक्री को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगी। (ix) धारा 168 के साथ धारा 165 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण को मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की

संपत्ति को नुकसान से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में सभी दावों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण की उक्त शक्ति एक तरफ दावेदार या दावेदारों और दूसरी तरफ बीमाकृत, बीमाकर्ता और चालक के बीच दावों का निर्णय करने तक ही सीमित नहीं है। मुआवजे के लिए दावे का न्यायनिर्णयन करने और बीमाकर्ता के लिए बचाव या बचावों की उपलब्धता का निर्णय करने के दौरान, न्यायाधिकरण के पास बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति और अधिकारिता आवश्यक रूप से होती है। दावेदारों द्वारा मुआवजे के लिए दावे के न्यायनिर्णयन के दौरान बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच दावों और विवादों पर दिया गया निर्णय और उस पर दिया गया पुरस्कार प्रवर्तनीय और निष्पादन योग्य है।

Machine Translated by Google

दावेदारों के पक्ष में निर्णय के प्रवर्तन और निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा 174 में दिए गए तरीके का ही पालन किया जाएगा।

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के न्यायनिर्णयन पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने धारा 149(2) के उप-धारा (7) के साथ उपबंधों के अनुसार अपने बचाव को संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया है, जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर व्याख्या की है, न्यायाधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता को बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उस मुआवजे और अन्य राशियों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए, जिसे न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत उसे तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाकर्ता को बीमाकृत व्यक्ति से देय पाया गया धन न्यायाधिकरण द्वारा कलेक्टर को अधिनियम की धारा 174 के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसी तरह जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर वसूल किया जा सकेगा। भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण-पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा, जब अधिनियम की धारा 168 की उप-धारा (3) के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि जमा करने में विफल रहता है।

(xi) उपधारा (4) तथा उसके अधीन परंतुक और उपधारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंध, जिनका आशय इसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं को कवर करना है, ताकि बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्ति की ओर से बीमा अनुबंध के अंतर्गत भुगतान की गई राशि को वसूल कर सके, न्यायाधिकरण द्वारा इनका सहारा लिया जा सकता है तथा इन्हें बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध बीमाकर्ता के दावों और बचावों तक विस्तारित किया जा सकता है, तथा इसके लिए उन्हें ऐसे मामलों में नियमित न्यायालय के समक्ष उपचार के लिए भेजा जा सकता है, जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उनके दावों के पारस्परिक न्यायनिर्णयन से पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन में देरी हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, बीमा कंपनी ने NAW 1 के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लाया है कि ट्रक के चालक के पास जो लाइसेंस बताया गया है वह एक फर्जी लाइसेंस है क्योंकि उनकी जांच में पाया गया कि उक्त लाइसेंस संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण, गौहाटी (असम) से कभी जारी नहीं किया गया था: हमने लाइसेंस की फोटोकॉपी देखी है। लाइसेंस को संबंधित नियम 16(1) के तहत फॉर्म-6 में जारी किया गया दिखाया गया है। इस पर उचित स्थान पर चालक की तस्वीर और लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मुहर और अस्पष्ट हस्ताक्षर भी हैं। यह लाइसेंस भारी माल वाहन चलाने के लिए जारी किया गया दिखाया गया था और इसे 20.12.2001 तक अंतिम रूप से नवीनीकृत दिखाया गया था। यह मानते हुए भी कि यह एक फर्जी लाइसेंस था, लेकिन बीमा कंपनी ने यह साबित करके अपना दायित्व पूरा नहीं किया कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और वह विधिवत लाइसेंसधारी चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा। हम मानते हैं कि उक्त लाइसेंस मालिक के सामने पेश किया गया होगा और उचित सावधानी बरतते हुए मालिक ने वाहन चालक को यह ध्यान में रखते हुए सौंप दिया होगा कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि कथित लाइसेंस वैधानिक प्रोफार्मा में नहीं होता या उसमें कुछ अनियमितताएं दिखतीं या उसमें नकली होने का कोई संकेत होता।

Machine Translated by Google

लाइसेंस की प्रकृति को उसके स्वरूप से पहचाना जा सकता है जिसे एक सामान्य व्यक्ति को लाइसेंस को पहली नजर में देखने के बाद या अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके उचित परिश्रम के साथ नोटिस करना चाहिए, तभी यह कहा जा सकता है कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और वह विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा। लेकिन उपरोक्त कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका। इन सभी कारणों से, न्यायाधिकरण ने माना कि बीमा कंपनी इस मामले में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी और उसे दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें न्यायाधिकरण के इस तरह के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता है। इसलिए, अपीलकर्ता/ बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें कायम नहीं रह सकतीं।"

13. इस प्रकार, उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अपराधी वाहन के NAW-1 चालक और NAW-2 के साक्ष्य पर विचार करना आपत्तिजनक वाहन के मालिक को दस्तावेज़ Ex.D-13C के साथ, यह यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय, गैर-आवेदक क्रमांक 1/अपराधी का चालक वाहन के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था और ड्राइविंग लाइसेंस जो उनके पास था वह फर्जी नहीं पाया गया। हालांकि बीमा कंपनी ने इस बात पर जोर दिया गया कि दोषी वाहन के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि यह फर्जी पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। बीमा के संबंध में ठोस एवं पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करके इसे सिद्ध करें, कंपनी पूरी तरह विफल रही है और बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन, इसलिए, वकील द्वारा उठाया गया तर्क इस संबंध में बीमा कंपनी की दलील भी खारिज की जाती है। विद्वान न्यायाधिकरण ने, रिकार्ड पर लाए गए साक्ष्यों की सराहना करने के बाद, इसके आरोपित पुरस्कार ने भी पाया गया कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस दुर्घटना का समय वैध है क्योंकि यह डीटीओ, धौलपुर से जारी किया गया था और इसका कार्यालय कोड आरजे 11 है और इस प्रकार बीमा पर दायित्व तय किया गया कंपनी। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष तथ्य पर आधारित है रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य न तो विकृत है और न ही नियम के विपरीत है। रिकॉर्ड और मैं ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष की पुष्टि करता हूं। द्वारा उद्धृत केस कानून बीमा कंपनी के मामले में विद्वान वकील गीता भट्ट और कमला एवं अन्य (सुप्रा), वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर अलग-अलग है,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Machine Translated by Google

बीमा कंपनी के लिए कोई मदद नहीं है।

14. अब मैं दावेदारों द्वारा दायर अपीलों (एमएसी संख्या 1242/2016, एमएसी संख्या 1243/2016, एमएसी संख्या 1244/2016 और एमएसी संख्या 1245/2016) और क्रॉस दावेदार दवेंद्र कुमार द्वारा दायर आपत्ति (एमएसी संख्या 710/2016) मुआवजे में वृद्धि.

15. जहां तक मृतक व्यक्तियों की आय का संबंध है, यद्यपि दावेदारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अलग-अलग दावा याचिकाओं में दलील दी गई है कि मृतक व्यक्ति काम कर रहे थे मजदूर के रूप में काम करते हैं और 6,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं, लेकिन कोई दस्तावेजी सबूत नहीं इसके समर्थन में दावेदारों द्वारा उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। तथ्य। हालाँकि, न्यायाधिकरण, उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के अनुसार रिकार्ड ने स्वयं ही मृतक व्यक्तियों की मासिक आय का आकलन किया 4,500/- रुपये प्रतिमाह काल्पनिक आधार पर, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में है। न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. जहां तक सभी अपीलों में भविष्य की संभावनाएं प्रदान करने का संबंध है, न्यायाधिकरण द्वारा उपलब्ध दलीलों, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा। रिकॉर्ड पर मृतक व्यक्तियों की आयु 40 वर्ष से कम निर्धारित की गई, हालाँकि, भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% का आकलन करने में गलती हुई, जिसकी जांच की जानी चाहिए उचित रूप से कम किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रणय सेठी (सुप्रा) ने 40% को स्वयं के लिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के रूप में माना है। ऐसे रोजगार प्राप्त व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। इसलिए, वर्तमान में मामलों में, भविष्य की संभावनाओं का लागू प्रतिशत 40% के स्थान पर होगा 50% जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है।

एमएसी संख्या 814/2016 में न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु का आकलन किया- धनेश्वर जोशी की आयु 52 वर्ष है, लेकिन भविष्य के लिए 50% का आकलन करने में गलती हुई संभावनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रणय सेठी (सुप्रा) है स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए भविष्य की संभावनाओं की हानि के रूप में 10% माना जाता है जिनकी आयु 50-60 वर्ष के बीच है, इसलिए वर्तमान मामले में (एमएसी) संख्या 814/2016) के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं का लागू प्रतिशत 10% होगा

Machine Translated by Google

न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है कि 50% का स्थान ले लिया जाए।

17. इसके अलावा, मृतक व्यक्तियों की आयु, उन पर निर्भरता को देखते हुए

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शन लेते हुए

श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य,

(2009) 6 एससीसी 121 , प्रणय सेठी और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) ,

यह न्यायालय निम्नलिखित सभी अपीलों के मुआवजे की गणना करता है

ढंग:-

एमएसी नंबर 1242/2016 और एमएसी नंबर 717/2016

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01.	मृतक की आय प्रतिवर्ष की दर से माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/- प्रति
02.	उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत और जीवनयापन के लिए 1/2 कटौती मृतक के व्यय (मृतक के रूप में-रु.75,600/- - रु.37,800/- = गोलू जोशी अविवाहित थे)	रु.37,800/- रु.37,800/-
04.	आयु को देखते हुए 18 का गुणक लागू किया जाएगा मृतक की आयु अर्थात 20 वर्ष	रु.37,800/- x 18 = रु.6,80,400/-
05.	संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-	
06.	दावेदार संख्या 1 को संघ की हानि के प्रति 5 तक (रु.40,000/- प्रत्येक)	रु.2,00,000/-
	सम्पूर्ण प्रतिकर	रु.9,10,400/-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

कुल मुआवजा राशि 11,54,000/- रुपये के स्थान पर ब्याज सहित 9,10,400/- रुपये दी जाएगी।

न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

एमएसी नंबर 1243/2016 और एमएसी नंबर 711/2016

Machine Translated by Google

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01. मृतक की आय प्रतिवर्ष	प्रति माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/-
02. उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत और जीवनयापन के लिए 1/2 कटौती मृतक के व्यय (मृतक के रूप में-रु.75,600/- - रु.37,800/- = (सावंत जोशी अविवाहित थे)	रु.37,800/- रु.37,800/- 18
04.	का गुणक लागू किया जाएगा आयु अर्थात 20 वर्ष	रु.37,800/- x मृतक की 18 = रु.6,80,400/-
05. संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-		
06. संघ की ओर	नुकसान दावेदार/अपीलकर्ता क्रमांक 1 से 6 (रु.40,000/-) प्रत्येक)	रु.2,40,000/-
	कुल मुआवजा 9,50,400/- रु.	

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

कुल मुआवजा राशि 11,54,000/- रुपये के स्थान पर ब्याज सहित 9,50,400/- रुपये दी जाएगी।

न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एमएसी संख्या 1244/2016 और एमएसी संख्या 718/2016

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01. मृतक की आय प्रतिवर्ष	प्रति माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/-
02. उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत एवं जीवनयापन के लिए 1/4 कटौती मृतक का खर्च- सनत कुमार जोशी	रु.18,900/- रु.75,600/- - रु.18,900/- = रु.56,700/-
04.	18 का गुणक लागू किया जाएगा मृतक की आयु 24 वर्ष	रु.56,700/- x 18 = रु.10,20,600/-
05. संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-		
06. संघ की ओर	नुकसान दावेदार/अपीलकर्ता संख्या 1 से 4 (रु.40,000/-) प्रत्येक)	रु.1,60,000/-
	सम्पूर्ण प्रतिकर	रु.12,10,600/-

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

ब्याज सहित 15,28,500/- रुपये के स्थान पर कुल मुआवजा 12,10,600/- रुपये दिया जाएगा।

Machine Translated by Google

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

एमएसी नंबर 1245/2016 और एमएसी नंबर 716/2016

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01. मृतक की आय रू.4,500/- की दर से	द्वारा मूल्यांकन के अनुसार)	रु.54,000/- प्रतिवर्ष प्रति माह (ट्रिब्यूनल
02. उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत एवं जीवनयापन के लिए 1/4 कटौती मृतक का खर्च-राजू जोशी	रु.18,900/- रु.75,600/- - रु.18,900/- = रु.56,700/-
04.	आयु को देखते हुए 18 का गुणक लागू किया जाएगा मृतक की आयु अर्थात 25 वर्ष	रु.56,700/- x 18 = रु.10,20,600/-
05. संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए		रु.30,000/-
06. दावेदार संख्या 1 से लेकर संघ की हानि के संबंध में	5 (रु. 40,000/- प्रत्येक)	रु.2,00,000/-
	सम्पूर्ण प्रतिकर	रु.12,50,600/-

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

ब्याज सहित 12,64,000/- रुपये के स्थान पर कुल मुआवजा 12,50,600/- रुपये दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

एमएसी संख्या 710/2016 और दावेदारों द्वारा क्रॉस-अपील

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01.	मृतक की आय प्रतिवर्ष की दर से माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/- प्रति
02. उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत और जीवनयापन के लिए 1/2 कटौती मृतक के व्यय (मृतक के रूप में-रु.75,600/- - रु.37,800/- (देवेन्द्र कुमार जोशी अविवाहित थे)	रु.37,800/- = रु.37,800/-
04.	18 का गुणक लागू किया जाएगा मृतक की आयु 20 वर्ष	रु.37,800/- x 18 = रु.6,80,400/-
05.	संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-	
06.	दावेदार संख्या 1 को संघ की हानि के लिए 4 तक (रु.40,000/- प्रत्येक)	रु.1,60,000/-
	सम्पूर्ण प्रतिकर	रु.8,70,400/-

Machine Translated by Google

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

ब्याज सहित 10,54,000/- रुपये के स्थान पर कुल मुआवजा 8,70,400/- रुपये दिया जाएगा।

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

एमएसी नं.814/2016

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01. मृतक की आय प्रतिवर्ष	माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/- प्रति
02. उपरोक्त (i) का 10% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.5,400/- रु.54,000/- + रु.5,400/- = रु.59,400/-
03.	व्यक्तिगत एवं जीवनयापन व्यय के लिए 1/3 कटौती मृतक का खर्च- धनेश्वर जोशी	रु.19,800/- रु.59,400/- - रु.19,800/- = रु.39,600/-
04.	11 का गुणक लागू किया जाएगा अर्थात 52 वर्ष	रु.39,600/- x 11 मृतक की आयु = रु.4,35,600/-
05. संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-		
06. प्रतिवादी को संघ की हानि की ओर	क्रमांक 1 से 3 (रु. 40,000/- प्रत्येक)	रु.1,20,000/-
	कुल मुआवजा 5,85,600/- रु.	

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है

कुल मुआवजा राशि 7,31,000/- रुपये के स्थान पर ब्याज सहित 5,85,600/- रुपये दिया जाएगा।

न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें

पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

एमएसी नं.715/2016

क्र.सं.	सिर	गणना (रुपये में)
01.	मृतक की आय प्रतिवर्ष की दर से प्रति माह (जैसा कि मूल्यांकन किया गया है) न्यायाधिकरण)	रु.54,000/- प्रति वर्ष रु.4,500/-
02. उपरोक्त (i) का 40% भविष्य के लिए जोड़ा जाएगा	संभावनाएं.	रु.21,600/- रु.54,000/- + रु.21,600/- = रु.75,600/-
03.	व्यक्तिगत एवं जीवनयापन के लिए 1/4 कटौती मृतक का खर्च- गोपाल टंडन	रु.18,900/- रु.75,600/- - रु.18,900/- = रु.56,700/-
04.	18 का गुणक लागू किया जाएगा 56,700/- रूपये अर्थात 25 वर्ष	मृतक की आयु एवं 18 = रु.10,20,600/-
05. संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए रु.30,000/-		
06. प्रतिवादी को संघ की हानि की ओर	क्रमांक 1 से 5 (रु. 40,000/- प्रत्येक)	रु.2,00,000/-
	सम्पूर्ण प्रतिकर	रु.12,50,600/-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Machine Translated by Google

तदनुसार, दावेदारों को एक राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाता है ब्याज सहित 12,64,000/- रुपये के स्थान पर कुल मुआवजा 12,50,600/- रुपये दिया जाएगा। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार। हालाँकि, विवादित मामले की बाकी शर्तें पुरस्कार अक्षुण्ण रहेगा।

18. परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील (एमएसी संख्या 715/2016, एमएसी नंबर 717/2016, एमएसी नंबर 711/2016, एमएसी नंबर 814/2016, एमएसी नंबर 718/2016, एमएसी संख्या 716/2016 और एमएसी संख्या 710/2016) को आंशिक रूप से संशोधन के साथ अनुमति दी गई है उपरोक्त सीमा तक आपत्तिजनक पुरस्कारों में, जबकि अपील {(एमएसी क्रमांक 1242/2016, एमएसी क्रमांक 1243/2016, एमएसी क्रमांक 1244/2016 एवं एमएसी सं.1245/2016) के साथ-साथ एम.ए.सी. सं.710/2016) में क्रॉस अपील भी दायर की गई। दावेदार, बिना किसी सार के, उत्तरदायी हैं और इसके द्वारा बर्खास्त.

एसडी/-

(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अखिलेश